न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए / 171 / 2019

उनवान

1. घीसू पुत्र मांगू कहार भोई निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2. रामपाल पुत्र मांगू कहार भोई निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
3. श्रीमती बाली पत्नी मांगू कहार भोई निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
4. कमला पुत्री मांगू कहार भोई निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
5. गांधी पुत्री मांगू कहार भोई निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. श्रीमती घीसी बाई पत्नी उम्मेद खॉ कायमखानी निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2. कालू पुत्र देवा कहार भोई निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा हाल खेडा रामपुरा उम्मेद सागर चौराहा के पास शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, बनेडा के प्रकरण
संख्या 05 / 2018 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.7.2018

अधिवक्तागण :–

1. श्री शोभागमल कुमावत , अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री अरूण देराश्री, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 27.9.2019

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 54 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 के नाम पर कृषि आराजियात अविभक्त सामलाती खाते में ग्राम बनेडा पटवार क्षेत्र बनेडा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा की वर्तमान जमाबंदी संवत 2068 से 2072 तक की खतौनी संख्या नई 216 पुरानी 220 में आराजी नम्बर 2950 रकबा 60 बीघा 12 बिस्वा किस्म पेटा तालाब, आराजी नम्बर 2951 रकबा 6 बिस्वा किस्म पेटा तालाब, आराजी नम्बर 2952 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा किस्म बंजड, आराजी नम्बर 2953 रकबा 3 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन आता चाह, आराजी नम्बर 2954/2 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा किस्म पेटा तालाब, आराजी नम्बर 2955 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा किस्म पेटा तालाब, आराजी नम्बर 2956 रकब 2 बीघा 7 बिस्वा किस्म पेटा तालाब कुल किता 7 कुल रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा लगानी 29 रूपये 49 पैसे स्थित है।

2. उक्त आराजियात सामलाती होकर राजस्व रेकार्ड में अंकन है। वादिया का इस आराजियात में 1/3 हक हिस्सा निहित होकर इसी हक हिस्से पर काबिज होकर आराजियात का उपयोग उपभोग कर रही है। उपरोक्त आराजियात जमाबंदी खाता में सामलाती दर्ज है इस खाते में नाना पिता दुर्गा कहार भौई का निधन हो गया । जिसे काफी वर्ष हो चुके है लेकिन उसका वारिस उसका भतीजा कालु पिता देवा भौई है और उसके हक हिस्से की आराजियात पर अभी कालू पितादेवा कहार भौई का कब्जा आधिपत्य है एवं वादिया ने आराजियात खरीद की है, खरीददार ने वादिया को इस सामलाती खातों की आराजी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नम्बर 2950, 2951, 2952, और 2956 के भू भाग पर कब्जा आधिपत्य दिया है अर्थात आराजी नम्बर आराजी चाह नम्बर 2953 से नीचे के हिस्से की आराजियात कब्जे व आधिपत्य में सिपुर्द की है । जिस पर वक्त खरीद से आज दिन तक वादिया का कब्जा निरन्तर चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजियात सामलाती रूप से राजस्व रिकार्ड में अंकन होने से वादिया अपने हिस्से की आराजियात का समुचित ढंग से उपयोग उपभोग, फलस काश्त, भूमि विकास करने में व लगान जमा कराने आदि में विवाद होता रहता है। इसलिए वादिया ने प्रतिवादीगण को मौखिक रूप से आराजियात का बंटवाडा करने बाबत दिनांक 16.12.2017 को कहा तो प्रतिवादीगण आवेश में आ गये और आराजियात के कब्जे, आधिपत्य से भी बेदखल करने की धमकियॉ दी है इसलिए प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित कराया जाना भी आवश्यक है।

3. अतः बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजियात का 1/3 हक हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व यह घोषणा की जावे कि वादिया के द्वारा खरीद किया गया हिस्सा एवं वक्त खरीद कब्जा आधिपत्य में की गई आराजी नम्बर 2950, 2951, 2952, और 2956 की वादिया को मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादग्रस्त आराजियात के 1/3 हक हिस्से जिस पर वादिया का आधिपत्य है उक्त वादिया के कब्जे आधिपत्य में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो प्रतिवादी संख्या 1 से 6 करे एवं न किसी अन्य से करावे ऐसी स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावे।

4. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादी का वाद पत्र

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

स्वीकार किया जाकर निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 17.7.2018 तथा दिनांक 17.7.2018 को ही निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की। जिससे व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई।

5. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थीगण को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी व हाल ही में दिनांक 25.7.2019 को रेस्पोडेण्ट संख्या 1 अपने साथ कुछ अजनबी लोगों को लेकर रोड के सहारे की भूमि अपनी होना बताकर बेचने की बाते करने लगी व अपीलार्थीगण के उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी पैदा की व न्यायालय से भूमि अपने नाम पर दर्ज करवा लेने की बात कही, इस पर अपीलार्थीगण ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर प्रकरण की जानकारी की तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया, इस पर अन्य अधिवक्ता नियुक्त कर नकले हेतु आवेदन पत्र दिनांक 26.7.2019 को पेश किया व नकल दिनांक 1.8.209 को प्राप्त हुई, तब उक्त निर्णय व डिक्री की प्रथम बार जानकारी हुई। व जानकारी प्राप्त होने की दिनांक से अंदर अवधि अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने बिना कोई साक्ष्य लिये प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया है जो विधि में पोषणीय

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रकरण में वादीगण/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा अपने वाद पत्र में मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर वादग्रस्त आराजियात का विभाजन किये जाने का अनुतोष मांगा गया है जिससे स्पष्ट है कि अच्छी से अच्छी व बुरी सेबुरी हर भूमि को सभी पक्षकारान का हक हिस्से अनुसार विभााजन होना चाहिये था, लेकिन रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलाभगती कर रोड के सहारे की भूमि को अपने नाम पर बंटवाडें में रखवा ली , जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रकरण दिनांक 6.6.2018 की राजस्व लोक अदालत में प्रकरण को रखा गया, उसी दिन बंटवाडा प्रस्ताव बिना अपीलार्थीगण को राजस्व अदालत के सम्मन नोटिस प्राप्त हुए बिना ही मामले में बिना साक्ष्य लिये ही निर्णय व डिक्री पारित कर दी व इसके पश्चात स्वतः ही अपने निर्णय को बदल कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र रेकार्ड पर लेकरदिनांक 17.7.2018 को बिना अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये जो निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिसमें राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगती से जो बिना अपीलार्थीगण खातेदार की उपस्थिति में बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किया गया, उसी अनुसार बिना प्रारंभिक डिक्री जारी किये व बिना अंतिम डिक्री की पालना में नये सिरे से बंटवाडा प्रस्ताव मंगाये ही कानून को ताक में रख कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

10. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जारी सम्मन मिलने पर अधिवक्ता नियुक्त कर अधिकार पत्र दिया गया व नियुक्त अधिवक्ता को भी उक्त तथ्यों से अवगत कराया गया व अपीलार्थीगण को अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि मामला रेवेन्यू काहै, प्रकरण लम्बा चलेगा, जब भी जवाब/साक्ष्य पेश करने हेतु जरूरत पडेगी तुम्हे बुलवा दिया जायेगा लेकिन न तो अपीलार्थीगण को कोई सूचना नहीं दी गई जिससे अपीलार्थीगण अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रह गये। प्रकरण में राजस्व लोक अदालत केम्प न्याय आपके द्वार अभियान कैम्प बनेडा में दिनांक 6.6.2018 की पेशी दिनांक तय की गई जोकि मामला वास्ते जवाब हेतु कायम थी, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने कानून को ताक में रखकर मामले को बिना विवाद्यक कायम किये, बिना वादी एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य, लिये, बिना प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किये केवल मात्र अपने प्रकरण निस्तारित करने का कोटा पूरा करने के उद्धेश्य से न्याय का गला घोंटकर एक ही दिन में निर्णय पारित किया, जिसे पुनश्च कर बदल दिया गया व साक्ष्य स्वरूप मनमकसूद शपथ पत्र रेकार्ड पर लिया जाकर बिना पक्षकारान की उपस्थिति में बनाये गये बंटवाडा प्रस्ताव के आधार पर निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित करदी । अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है।

11. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि विधि की प्रकिया के अनुसार बंटवाडे के वाद में प्रथमतः प्रारंभिक डिक्री पारित होनी चाहिये। उसकी पालना में तहसीलदार, गिरदावर मौके पर जाकर खातेदारान, पक्षकारान को सुनकर बंटवाडा प्रस्ताव किया जाता है , जिसमें दोनों पक्षों को पुनः सुनवाई का अवसर देने के पश्चात ही मामले में अंतिम निर्णय/डिक्री पारितकी जाती है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इन महत्वपूर्ण

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बिन्दुओं को नजरअदांज कर व विधिक प्रकिया को अपनाये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से परे होने से खारिज योग्य है।

12. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि विवादित आराजियात संयुक्त सामलाती की कृषि आराजियात है, रोड की तरफ की भूमि परखातेदारान का हक हिस्से अनुसार कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। लेकिन रेस्पोडेण्ट संख्या 1/वादिया द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिला भगती कर रोड की ओर की भूमि को हडप करने की नियत से बिना अपीलार्थीगण की जानकारी व सूचना दिये मनमकसूद तरीके से बंद कमरें में बैठकर बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री खारिज योग्य है।

13. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये, एवं बिना किसी तरह की साक्ष्य लिये , बिना तनकीवार निर्णय पारित किये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावे ।

14. प्रत्यर्थीगण संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे। साथ ही निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण उपलब्ध रेकार्ड, शपथ पत्र के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

15. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थीगण के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनयिम स्वीकार किया जाकर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है। अपीलार्थी का कथन है कि उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है जिससे वे अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रह गये है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की है।

16. हमनें अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रकरण दिनांक 5.1.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । दिनांक 27.2.2018 को प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 की ओर से वकालत नामा प्रस्तुत किया गया एवं प्रत्यर्थी संख्या 6 की ओर से अण्डरटेकिंग दर्ज की जाकर प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.4.2018 नियत की गई। दिनांक 17.4.2018 को जवाब प्रस्तुत नहीं होने से प्रकरण को आगामी तारीख पेशी दिनांक 6.6.2018 को मुकाम बनेडा में पेश करने के निर्देश के साथ आगामी तारीख पेशी दिनांक 6.6.2018 नियत की गई।

17. दिनांक 6.6.2018 की नियत पेशी पर प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प मुकाम बनेडा रखा गया । जहॉ पर दिनांक 6.6.2018 की आदेशिका में अंकित किया गया " पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर मुकाम बनेडा में पेश हुई। वादीया मय अधिवक्ता तथा राज्य पक्ष की ओर से तहसीलदार बनेडा शिविर के दौरान उपस्थित । विपक्षीगण सूचित होने के उपरान्त भी शिविर में उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जाते हैं। आज दिनांक 6.6.2018 को प्रकरण न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर वाद पत्र को लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुए निर्णित किया जाकर अंतिम डिक्री दी जाती है। वादीया का वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस प्रकार मंजूर किया जाता है, वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के मध्य शिविर में तैयार करवाये गये विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री मूर्तिब की जाती है प्राप्त विभाजन स्कीम एवं हस्ताक्षरित नक्शा ट्रेस को उक्त डिक्री का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है। डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। " इस प्रकार आदेशिका का अंकन करने के उपरान्त पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये गये। उसके उपरान्त पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर को काटा गया एवं सम्पूर्ण आदेशिका को काट दिया गया । तत्पश्चात आगामी पेज पर दिनांक 6.6.2018 की तारीख अंकित करते हुए पुनश्च लिखते हुए पुनः आदेशिका का इस प्रकार अंकन किया गया " पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर मुकाम बनेडा में पेश हुई। वादीया मय अधिवक्ता तथा राज्य पक्ष की ओर से तहसीलदार बनेडा शिविर के दौरान उपस्थित । विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 3 की ओर से विहित समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी जवाब दावा अब तक प्रस्तुत नहीं हो पाने से उनका जवाबदावा प्रस्तुतिकरण बन्द किया जाता है तथा इस प्रकार ही शेष विपक्षीगण संख्या 4 से 6 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते हैं। वादी पक्ष प्रकरण शीघ्र निस्तारित के सिद्धान्त की भावना से प्रेरित होकर वादीया की शहादत में स्वयं गवाह वादीया व स्वतंत्र गवाह के तौर पर दो पृथक से गवाह श्री नारू केहार

मु. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

व विनोद कुमार धोबी द्वारा मार्फत अधिवक्ता शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये , जिन्हे रिकार्ड पर लिया गया । पत्रावली कोर्ट में दिनांक 5.7.2018 को पेश हो। ''

18. इस प्रकार अंकित आदेशिका के अवलोकन के उपरान्त अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रकरण जवाब दावा में लंबित होकर प्रकरण को नियत तारीख पेशी दिनांक 6.6.2018 में नियत किया गया था। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उन्हें समुचित अवसर प्रदान करने एवं उसके उपरान्त भी जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में कॉस्ट पर जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के उपरान्त प्रकरण में प्रतिवादीगण का जवाब दावा बन्द कर प्रकरण को साक्ष्य वादी में नियत किया जाना चाहिये था। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में साक्ष्य वादी ली जाकर साक्ष्य प्रतिवादी में प्रकरण को नियत करना चाहिये था। अपीलाधीन प्रकरण में प्रकरण को दिनांक 6.6.2018 को राजस्व लोक अदालत शिविर मुकाम बनेडा में रखे जाने से पूर्व उभयपक्ष को लोक अदालत में उपस्थित होने बाबत सूचना पत्र जारी किये जाने चाहिये थे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को राजस्व लोक अदालत शिविर में दिनांक 6.6.2018 को उपस्थित होने बाबत कोई नोटिस जारी नहीं किये गये।

19. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 6.6.2018 को आदेशिका का अंकन करने के उपरान्त उसे काटकर नई आदेशिका का अंकन किया गया । जिसमें पूर्व में रही भूल को सुधारते हुए नये सिरे से पुनश्च का अंकन करते हुए नई आदेशिका लिखी गई जिसमें वादी की ओर से साक्ष्य के रूप में स्वयं वादीया का शपथ पत्र एवं अन्य 2 स्वतंत्र गवाहान के शपथ पत्रों को रिकार्ड पर लिया गया । उसके उपरान्त पत्रावली रूटिन कोर्ट में पेश होने हेतु आगामी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

तारीख पेशी दिनांक 5.7.2018 नियत की गई। आगामी तारीख पेशी दिनांक 5.7.2018 को आदेशिका अंकित इस प्रकार अंकित की गई। " पत्रावली पेश हुई। वादीया अधिवक्ता उपस्थित। वादीया की शहादत में पूर्व में प्रस्तुतशुदा शपथ पत्रों पर क्रमशः लाल स्याही से पी डब्ल्यू 1, पी डब्ल्यू 2 एवं पी डब्ल्यू 3 का अंकन किया गया तथा वाद पत्र से संलग्न राजस्व आधाार अभिलेखों पर क्रमशः लाल स्याही से प्रदर्श 1, 2 का अंकन किया गया । पत्रावली वास्ते बहस अंतिम दिनांक 10.7.2018 को पेश हो।" इस प्रकार प्रकरण में गवाहान से जिरह का कोई अवसर प्रतिवादीगण को नहीं दिया जाकर प्रकरण को आगामी तारीख पेशी दिनांक 10.7.2018 को नियत किया गया । दिनांक 10.7.2018 को वादीया की उपस्थिति दर्शाते हुए वादीया की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत होने से उसे रिकार्ड पर लिया गया व प्रकरण को वास्ते आदेश दिनांक 12.7.2018 को नियत किया गया । दिनांक 12.7.2018 को पीठासीन अधिकारी के अन्य राजकार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.7.2018 नियत की गई।

20. नियत तारीख पेशी दिनांक 17.7.2018 को आदेशिका इस प्रकार लिखी गई। –" पत्रावली पेश हुई । वादी मय अधिवक्ता उपस्थित अन्य पक्षकार की ओर से तहसीलदार बनेडा उपस्थित । वाद पत्र आराजियात बंटवाडा एवं घोषणा बाबत है। लिखित बहस वाद पत्र में प्राप्तशुदा है। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन/परीक्षण किया गया । प्रकरण के मेरिट पर बाद अवलोकन वादीया का वाद पत्र बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर प्रारंभिक डिक्री मूर्तिब किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। चूंकि प्राथमिक डिक्री की पालना में लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुए विगत

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

शिविर दिनांक 6.6.2018 को प्रकरण से सुलभ निस्तारण हेतु विभाजन स्कीम पहले से प्राप्तशुदा होकर रिकार्ड पर उपलब्ध है। उसी अनुसार वादीया का हक हिस्सा पृथक व प्रतिवादी क्रम संख्या 1 लगायत 6 के मध्य विभाजन करते हुए तहसीलदार बनेडा से प्राथमिक डिक्री की पालना में शिविर में तैयार करवाये गये विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री मूर्तिब की जाती है। प्राप्त विभाजन स्कीम एवं हस्ताक्षरित नक्शा ट्रेस को उक्त डिक्री का अंभिन्न अंग घोषित किया जाता है। डिक्री प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। " इस प्रकार आदेशिका अंकित करते हुए प्रकरण को निस्तारित किया गया । दिनांक 6.6.2018 की आदेशिका को काट कर नई आदेशिका लिख दिये जाने के उपरान्त प्रकरण में निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री पारित की जानी चाहिये थी एवं उसके उपरान्त प्रकरण में नये सिरे से बंटवाडा प्रस्ताव तलब किया जाना चाहिये था। परन्तु ऐसा नहीं किया जाकर प्रकरण में दिनांक 17.7.2018 को निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री पारित करते हुए पूर्व में प्रस्तुत दिनांक 6.6.2018 को बिना तहसीलदार से बंटवाडा तलब किये प्राप्त सुदा रिपोर्ट को आधार मानकर निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की गई है।

21. तहसीलदार बनेडा से दिनांक 6.6.2018 को तैयार करवाये गये । बंटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया । चूंकि दिनांक 6.6.2018 को प्राथमिक डिक्री ही जारी नहीं की गई थी, अतः एकपक्ष को सुनकर तैयार विभाजन प्रस्ताव दिनांक 6.6.2018 को न्यायालय निर्णय की पालना में तैयार किया जाना नहीं माना जा सकता। तहसीलदार बनेडा द्वारा तैयार बंटवाडा प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (रेवेन्यू बोर्ड) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में उभयपक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित की जाकर बंटवाडा प्रस्ताव तैयार

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

करवाया जाना भी अपेक्षित था जिससे यदि किसी पक्षकार को कोई आपत्ति होती तो उसका निस्तारण मौके पर किये जाने के बाद बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त प्रकरण में निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की जानी चाहिये थी। बंटवाडा प्रस्ताव दिनांक 6.6.2018 में वादिया घीसी बाई पत्नी उम्मेद खॉ कायमखानी का हिस्सा बंटवाडे में अलग प्रदर्शित कर अन्य सभी सहखातेदारान घीसू, रामपाल पिता मांगू , कमला , गांधी पुत्री मांगू, बाली बेवा मांगू व नाना पिता देवा कहार भोई का संयुक्त खाता रखा गया है, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता । प्राथमिक डिक्री में हक हिस्सों का स्पष्ट अंकन किया जाना आवश्यक है, व तदनुसार बंटवाडा प्रस्ताव भी सभी सहखातेदारान के मध्य हिस्से कायम कर तहसीलदार द्वारा तैयार किया जाना अपेक्षित थां। अपीलाधीन प्रकरण में दिनांक 17.7.2018 को मात्र आदेशिका में अंकन किया गया परन्तु निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री ही जारी नहीं की गई एवं न ही कोई बंटवाडा प्रस्ताव तलब किया गया । पूर्व में प्राप्त अपूर्ण एवं अस्पष्ट तथा विधिविरूद्ध तैयार बंटवाडा प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की गई है। जिसमें प्रतिवादीगण को अपनी ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर भी प्रदान नहीं किया गया था। जबकि मूल वाद में पक्षकारों के हक हितों का जवाब दावे के उपरान्त तनकियात कायम की जाकर प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर बाद साक्ष्य सुनवाई, उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर तनकीवाईज गुणावगुण के आधार पर विस्तृत निर्णय पारित किया जाना अपेक्षित था। अपीलाधीन प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किये बगैर एवं निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित किये बिना ही बिना विधिक प्रक्रिया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

के बंटवाडा प्रस्ताव तलब किये पूर्व में प्राप्त अपूर्ण एवं अस्पष्ट बंटवाडा प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

22. अतः अपील अपीलार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 17.7.2018 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जवाब दावा लिये जाने के उपरान्त तनकियात कायम की जावे तथा उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध साक्ष्य, रेकार्ड, दस्तावेजात का अवलोकन कर तनकीवार गुणावगुण के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाकर सभी सहखातेदारान का हक–हिस्सा स्पष्ट रूप से अंकित किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की जावे । उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.11.19 को उपस्थित रहे। ।

23. निर्णय आज दिनांक 27.9.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

27/9/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा